Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज गुरूवार को अलवर में कार्यवाही करते हुये प्रहलाद मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजनों विरूद्ध दर्ज मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने तथा उसके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में कार्यवाही करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी प्रहलाद मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नीरज भारद्वाज** एवं उनकी टीम द्वारा अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रहलाद मीणा पुत्र श्री मिठ्ठन लाल मीणा निवासी ग्राम जामड़ोली, थाना रैणी, जिला अलवर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर को परिवादी से **50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।